बी.एच.आई.सी.-134 : भारत का इतिहासः 1707-1950
अध्यापक जाँच सत्रीय कार्य

पाठ्यक्रम कोडः **BHIC-134**
सत्रीय कार्य कोड : **बी.एच.आई.सी-134/ए.एस.एस.टी./TMA/2026-2027**
अधिकतम अंकः **100**

नोटः यह सत्रीय कार्य तीन भागों में विभाजित हैं। आपको तीनों भागों के सभी प्रश्नों के उत्तर देने हैं।

सत्रीय कार्य - I

निम्नलिखित वर्णनात्मक श्रेणी प्रश्नों के उत्तर लगभग 500 शब्दों (प्रत्येक) में दीजिए। प्रत्येक प्रश्न 20 अंकों का है।

1) स्थायी बंदोबस्त की प्रकृति क्या थी? चर्चा कीजिए। 20

2) भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस में नरमपंथियों व चरमपंथियों के बीच अंतरों पर चर्चा कीजिए। 20

सत्रीय कार्य - II

निम्नलिखित मध्यम श्रेणी प्रश्नों के उत्तर लगभग 250 शब्दों (प्रत्येक) में दीजिए। प्रत्येक प्रश्न 10 अंकों का है।

3) उपयोगितावादियों के मुख्य विचार क्या थे? चर्चा कीजिए। 10

4) ब्रितानी शासन के अंतर्गत कृषि के वाणिज्यीकरण की प्रकृति पर टिप्पणी कीजिए। 10

5) भारतीय संविधान को आकार देने में संविधान सभा की क्या भूमिका थी? 10

सत्रीय कार्य - III

निम्नलिखित लघु श्रेणी प्रश्नों के उत्तर लगभग 100 शब्दों (प्रत्येक) में दीजिए। प्रत्येक प्रश्न 6 अंकों का है।

6) रैयतवाड़ी बंदोबस्त 6

7) 18वीं सदी में हैदराबाद में राज्य निर्माण 6

8) भारत में प्राच्यवादी 6

9) साम्प्रदायिकता 6

10) सत्ता का हस्तांरण 6

1) स्थायी बंदोबस्त की प्रकृति क्या थी? चर्चा कीजिए।

उत्तर

ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने 1765 में बंगाल, बिहार और उड़ीसा की दीवानी प्राप्त की, किंतु आरंभिक राजस्व प्रयोगों से स्थिर आय, कृषकों की सुरक्षा तथा कुशल प्रशासन की समस्याएँ हल नहीं हुईं। इसी पृष्ठभूमि में गवर्नर-जनरल लॉर्ड कॉर्नवालिस ने 1793 में **स्थायी बंदोबस्त** लागू किया। इसका केंद्रीय विचार यह था कि भूमि-राजस्व की सरकार को देय राशि हमेशा के लिए निश्चित कर दी जाए और उस राशि के भुगतान के लिए जमींदारों को उत्तरदायी बनाया जाए। इसलिए यह केवल लगान वसूलने की पद्धति नहीं, बल्कि ग्रामीण संपत्ति, सत्ता और सामाजिक संबंधों को पुनर्गठित करने वाली औपनिवेशिक व्यवस्था थी।

ऐतिहासिक पृष्ठभूमि और उद्देश्य

सन् 1772 से कंपनी ने राजस्व की नीलामी तथा अस्थायी व्यवस्थाएँ अपनाईं। अल्पकालिक ठेकेदार अधिक बोली लगाकर किसानों से कठोर वसूली करते थे और भूमि में दीर्घकालीन सुधार के लिए प्रेरित नहीं होते थे। कंपनी को सैनिक और प्रशासनिक व्यय के लिए सुनिश्चित धन चाहिए था। ब्रिटिश अधिकारियों के एक वर्ग का विश्वास था कि यदि भू-स्वामित्व और कर की राशि निश्चित हो जाए तो जमींदार ब्रिटेन के भूस्वामियों की भाँति निवेश करेंगे, कृषि बढ़ाएँगे और सरकार के प्रति वफादार स्थानीय अभिजात वर्ग बनेंगे। पहले दशवर्षीय प्रस्ताव पर विचार हुआ, फिर 1793 में उसे स्थायी घोषित कर दिया गया।

बंदोबस्त की प्रमुख विशेषताएँ

राजस्व की स्थायी निर्धारण-प्रणाली: कंपनी ने प्रत्येक जमींदारी से अपेक्षित वार्षिक सरकारी राजस्व निश्चित कर दिया। सामान्यतः राजस्व की निर्धारित देयता आगे चलकर बढ़ाई नहीं जानी थी। सरकार को आशा थी कि इससे वसूली नियमित होगी। मगर खेती का उत्पादन और बाजार मूल्य बढ़ने पर उसका अतिरिक्त लाभ मुख्यतः जमींदार को मिलता था; राज्य को उसी अनुपात में अधिक भू-राजस्व नहीं मिलता था।

जमींदार की संपत्ति-संबंधी स्थिति: जमींदारों को भूमि पर हस्तांतरणीय और उत्तराधिकार में जाने वाले अधिकार मान्यता के साथ मिले। वे सरकारी भुगतान के उत्तरदायी थे और किरायेदारों से लगान लेते थे। इस परिवर्तन को आधुनिक निजी स्वामित्व की एकरूप व्यवस्था समझना सही नहीं है, क्योंकि भूमि पर किसानों, पुराने स्थानीय प्रभुओं और सामुदायिक रीतियों के पहले से अनेक अधिकार मौजूद थे। औपनिवेशिक कानून ने इनमें से जमींदार के दावे को विशेष बल दिया।

राजस्व न चुकाने पर संपत्ति की बिक्री: नियत समय पर सरकारी मांग पूरी न होने पर जमींदारी नीलाम की जा सकती थी। कठोर समयसीमा और बिक्री की व्यवस्था को प्रायः 'सूर्यास्त कानून' से जोड़ा जाता है। इससे अनेक पुराने जमींदार बेदखल हुए और नए खरीदार, व्यापारी तथा धनवान साहूकार भूस्वामी बने। इसलिए कानून ने संपत्ति को बाजार में खरीद-बिक्री योग्य बनाया, लेकिन स्थिर पारंपरिक अभिजात वर्ग पैदा करने की आशा पूरी तरह सफल नहीं हुई।